

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 जून 2026 — आषाढ़ 4, शक 1948

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB-1/678/2025-UAD.— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 58 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 77 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78.	संरचना अधिकारी	₹ 15600-39100-₹6600	-	-
79.	सहायक संरचना अधिकारी	₹ 15600-39100-₹5400	-	-

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 77 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
78.	संरचना अधिकारी	-	100%	-	-
79.	सहायक संरचना अधिकारी	50%	50%	-	-

3. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 42 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43.	सहायक संरचना अधिकारी	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल

				इंजीनियरिंग में एम.टेक. में उपाधि।”
--	--	--	--	-------------------------------------

4. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 20 के कॉलम (3) में, शब्द “विद्युत” के पश्चात्, चिन्ह तथा शब्द “/संरचना अधिकारी” अंतःस्थापित किया जाये।
5. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 21 के कॉलम (3) में, शब्द “विद्युत” के पश्चात्, चिन्ह तथा शब्द “/सहायक संरचना अधिकारी” अंतःस्थापित किया जाये।
6. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 44 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“45.	संरचना अधिकारी	सहायक संरचना अधिकारी	5 वर्ष का कार्यानुभव
46.	सहायक संरचना अधिकारी	उप-अभियंता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एम.टेक. में उपाधि एवं 10 वर्ष कार्यानुभव।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 जून 2026

क्रमांक ESTB-1/678/2025-UAD.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-6-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 25th June 2026

NOTIFICATION

No. ESTB-1/678/2025-UAD.— No. ESTB-1/678/2025-UAD In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 58 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation (Appointment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Rules, 2018, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After serial number 77 of Schedule-I, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“78.	Structural Officer	₹ 15600-39100+ ₹ 6600w	-	-
79.	Assistant Structural Officer	₹ 15600-39100+ ₹ 5400	-	..”

2. After serial number 77 of Schedule-II, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“78.	Structural Officer	-	100%	-	-

79.	Assistant Structural Officer	50%	50%	-	-”
-----	------------------------------	-----	-----	---	----

3. After serial number 42 of Schedule-III, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“43.	Assistant Structural Officer	-do-	-do-	M.Tech. Degree in Structural Engineering from a any recognized University.”

4. In column (3) of serial number 20 of Schedule-IV, after the words “Electrical”, the symbols and words “/Structural Officer” shall be inserted.
5. In column (3) of serial number 21 of Schedule-IV, after the words “Electrical”, the symbols and words “/Assistant Structural Officer” shall be inserted.
6. After serial number 44 of Schedule-IV, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“45.	Structural Officer	Assistant Structural Officer	5 Years of work experience
46.	Assistant Structural Officer	Sub-Engineer	10 Years of work experience and M.Tech. Structural Engineering degree from a any recognized University.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHAGWAT JAISWAL, Deputy Secretary.